(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 422–तीन/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 217/2000–01 अपील

कृष्णप्रताप सिंह पुत्र देवीदयाल सिंह
ग्राम कोलहा तहसील त्योंथर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1– शिवकेशर सिंह पुत्र हरिनारायण सिंह
ग्राम कोलहा

3– कुवारे कलार पुत्र तिलक कलार ग्राम हडहाई
तहसील त्योंथर जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 –09–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 217/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 ने ग्राम कोलहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 52 रकबा 0.10 डि. जर्य विक्रय पत्र दिनांक 26–7–2000 से अनावेदक क्र–2 को विक्रय की, जिसके आधार पर तहसीलदार त्योंथर ने केता अनावेदक क्रमांक–2 का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय

अधिकारी त्यौंथर ने प्रकरण क्रमांक 209/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-1-2000 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 217/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2006 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान व्यक्त किया कि उनके द्वारा पूर्व में आवेदन के साथ व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जिसके कारण निगरानी का निराकरण व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार करते हुये निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे। यह सही है कि उभय पक्ष के बीच मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 त्यौंथर जिला रीवी के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 554 ए/2003 चला है एंव आदेश दिनांक 15-7-2009 से निर्णीत हुआ है मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 15-7-09 के विरूद्ध यदि वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं हुई है, आवेदक माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करके अमल कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आगे विचार करने का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व न्यायालय में निगरानी चलने योग्य न होने से इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर